Sanitation system in Metropolitan cities

1540. SHRI SANTOSH BAGRODIA : Will the Minister of URBAN DEVE LOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce new laws and schemes *to* improve the sanitation system in the Metropolitan cities ; and

(b) if so, what are the details thereof and the manner in which Government propose to keep the cities clean?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) and (b) Sanition is a State subject. It is the responsibility of the State Governments through the urban local bodies to improve the sanitation systems and maintain cleanliness in the cities. There is no central scheme for improving sanitation in metropolitan cities.

In the context of dry latrines and manual scavenging of night soil in urban areas, a proposal for a Central Legislation for making the employment of manual scavenging a punishable offence from a future date is being pursued with the State Governments.

Allotment of shops and flats in Delhi

1541. SHRI SHIV PRATAP MISHRA : Will the Minister of URBAN DEVE LOPMENT be pleased fto state :

(a) what are the details of shops and flats allotted by the Delhi Administration, NDMC and MC during the last one year;

(b) what are the names and addresses •f persons to whom the allotments have been made;

(c) whether these allotments have been made according to the rules/regulation, if so, the details thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF THE URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Amendment of Urban Land Ceiling Act and National Housing Act

1542. SHRIHARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to make certain amendments in the Urban Land Ceiling Act and the National Housing Bank Act;

(b) if so, the details thereof;

(c) the considerations that have necessitated amendments in these Acts; and

(d) by when these are likely to be implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) to (d) The Govt, of India has been considering amendment proposals in respect of the Urban Land (Ceiling & Regulation) Act, 1976 relating to some of its procedural aspects, matters relating to compensation and proposals of substantive nature requiring major amendments to the various existing provisions of the Act. Some proposals relating to the incorporation of new Sections also under consideration. These amendments have been considered necessary because over the years it has been repeatedly recognised that the existing Act has not achieved the objectives for which the Act was enacted.

Regarding amendments to the National Housing Bank Act, some proposals have been received by Ministry of Finance from National Housing Bank.

The proposals relate to the operational details of National Housing Bank so as to enable it to discharge more efficiently its functions as principal agency to promote housing finance institutions and to provide financial and other support to such institutions. No final decision has been taken by the Government in regard to these proposals.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत पंजीकृत समूह आवास समितियां

1543. डा० अबरार अहमद : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत पंजीकृत आवास समितियों की संख्या क्या है, प्राथमिकता, के अनुसार उनके नाम

क्या हैं और वे किस-किस तारीख से पंजीकृत हैं ;

(ख) कितनी समितियों को भूमि प्रदान कर दी गई है और अन्य समितियों को भूमि आबंटन में विलंब किए जाने के क्या कारण हैं तथा उन्हें कब तक भूमि आबंटित कर दी जायेगी ;

(ग) क्या यह सच है कि पूर्व आबंटित भूमि के मूल्य में वृद्धि की गई है और यदि हां, तो उसमें कितनी वृद्धि की गई है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि राशि वसूली की शर्तों में कोई परिवर्तन किया गया है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 6-1-92 की स्थिति के अनुसार सहकारी समितियों के पंजीयक के कार्यालय में 2027 सामूहिक आवास समितियां पंजीकृत थीं। उनके नामों तथा पंजीकरण की तारीख के बारे में जानकारी संकलित करने के लिए किए गए प्रयासों की तुलना में होने वाले परिणाम सम्भवतः निरर्थक रहेंगे। समितियों की परस्पर वरीयता का प्रश्न इस समय भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्याय-निर्णयाधीन है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक 518 समितियों को भूमि आवंटित की गई है। जनवरी, 1991 में 227 सामूहिक आवास समितियों को आवंटन तथा मांग-पत्र जारी किए गए थे। तथापि दिल्ली के उच्च न्यायालय के दिनांक 18-5-91 के आदेश द्वारा वे आबंटन रद्द कर दिए गए थे। उच्च न्यायालय ने इस आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है तथा यह मामला न्याय निर्णयाधीन है।

आठवीं योजना अवधि के दौरान लगभग 400 सहकारी सामूहिक आवास समितियों को द्वारका तथा नरेला में भूमि आबंटित किए जाने की सम्भावना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्लाटों का प्रीमियम वसूल किए जाने के संशोधित शर्त और निबन्ध इस प्रकार है :—

(i) प्लाट के कुल भूमि प्रीमियम का 25 प्रतिशत, प्रीमियम का 10 प्रतिशत अनधिक प्राधिकरण द्वारा तय किए जाने अनुसार इस प्रकार की बयाना राशि के साथ भूमि आबंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय जमा किया जाएगा ;

(ii) प्रीमियम का 50 प्रतिशत मांग तथा आबंटन पत्र जमा करने की तारीख से 60 दिन के भीतर जमा किया जाएगा ; और

iii) धरोहर राशि को समायोजित करने के बाद, शेष प्रीमियम, भूमि का कब्जा लेने से पूर्व अथवा कब्जे की पेशकश करते हुए प्राधिकरण से सूचना प्राप्त होने के दो महीनों के भीतर, जो भी पहले हो, जमा किया जाएगा।

ऊपर बताए गये अनुसार प्रीमियम अथवा भूमि की कीमत जमा न किये जाने की स्थिति में जमा की गई धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा और प्राधिकरण विहित प्रक्रिया के अनुसार सहकारी समिति सहित किसी भी अन्य व्यक्ति, को भूमि आबंटित करने के लिए सक्षम होगा।

लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली में आबंटितों के खिलाफ शिकायतें

1544. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली में उन सरकारी आवास आवंटितों की संख्या कितनी है, जिनके विरुद्ध पिछले वर्ष सामूहिक स्थान के दुरुपयोग और पड़ोसियों के साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) कितनी शिकायतें जांच के पश्चात् सही पाई गई ;